

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख

# अपर समाहर्ता का न्यायालय, बोकारो।

एल0सी0 अपील वाद संख्या.....03.../2013

(उर्मिला देवी बनाम् छोटू राम)

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 26-11-2022                | <p>प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) न्यायालय का भू-हदबंदी वाद सं०-14/2011-12 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 07.11.2012 के विरुद्ध उर्मिला देवी, पति-शालीग्राम विश्वकर्मा, ग्राम-ससबेड़ा, थाना-आई0ई0एल0 गोमिया, प्रखंड-गोमिया, जिला-बोकारो के द्वारा लाया गया है।</p> <p>विवादित भूमि मौजा ससबेड़ा, खाता नं०-33 प्लॉट नं०-280, रकवा-4.08 एकड़ मध्ये 0.010 एकड़ भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) के द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध अपीलवाद दायर किया गया है।</p> <p>सुनवाई के दौरान अपीलार्थी उर्मिला देवी एवं प्रतिपक्षी छोटू राम द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आवेदन दिया गया है, जिसमें अपीलार्थी का कथन है कि "इस वाद में प्रतिपक्षी के साथ उनका आपसी समझौता हो चुका है। इस कारण इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाय।"</p> <p>इस संदर्भ में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि पक्षकार की ओर से आपसी समझौता हो गया है और इस वाद में अन्य कोई विवाद नहीं है। उभय पक्ष उक्त वाद को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वाद को चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गये संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सुलहनामा आवेदन एवं उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ताओं के अनुरोध के आधार पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p><br/>26/11/22</p> <p>अपर समाहर्ता,<br/>बोकारो।</p> <p><br/>26/11/22</p> <p>अपर समाहर्ता,<br/>बोकारो।</p> |                                                        |

C. C. Issued Vide  
No. 506... Dated: 15/02/24